डीजी परिपत्र संख्या–25/2021

मुकुल गोयल
आई.पी.एस.

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।
दिनांकः लखनऊः जुलाई 31, 2021

विषयः पुलिस अभिरक्षा में होने वाली मृत्यु की रोकथाम के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा–निर्देश।

प्रिय महोदय/महोदया,

ध्यातव्य है कि पुलिस अभिरक्षा में किसी व्यक्ति की मृत्यु की घटना से जहाँ एक ओर पुलिस की छवि धूमिल होती है वहीं कानून एवं व्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। "अभिरक्षा मृत्यु" अति संवेदनशील एवं अमानवीय अपराध है, जिसका दायित्व प्रायः पुलिस पर स्थापित होता है। ऐसी घटनाओं से प्रायः कई पुलिस अधिकारी व कर्मचारीगण हत्या जैसे संगीन अपराध के दोषी बन जाते है और उन्हें वैधानिक कार्यवाही का प्रतिफल भी भुगतना पड़ता है। इस प्रकार की घटनाओं पर प्रभावी रोकथाम हेतु समय–समय पर पार्श्वांकित परिपत्रों द्वारा दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं, जिनका समय–समय पर अनुशीलन कर अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देश दिया जाना आवश्यक है।

डीजी–परिपत्र संख्या–07/1997 दिनांक 29.03.1997
डीजी–परिपत्र संख्या–15/1997 दिनांक 26.09.1997
डीजी–परिपत्र संख्या–01/2006 दिनांक 04.01.2006
डीजी–परिपत्र संख्या–40/2009 दिनांक 13.08.2009
डीजी–परिपत्र संख्या–79/2013दिनांक 13.12.2013
डीजी–परिपत्र संख्या–10/2018दिनांक 17.03.2018
डीजी–परिपत्र संख्या–50/2018दिनांक 13.09.2018
डीजी–परिपत्र संख्या–28/2020दिनांक 26.08.2020

आप सहमत होंगे कि पुलिस हिरासत में लिये गये व्यक्ति के साथ पुलिस कर्मियों द्वारा अनावश्यक मारपीट की घटनायें जहॉ अमानवीयता का परिचायक है, वहीं पुलिस की कूर प्रवृत्ति को भी उजागर करती है। इस प्रकार की घटनाओं को अत्यन्त गम्भीरता से लिया जाना चाहिए और ऐसे पुलिस कर्मियों के विरूद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए। साथ ही पुलिस हिरासत में लिये गये व्यक्ति की सुरक्षा का समुचित ध्यान रखा जाए। हवालात का निरीक्षण कर देख लिया जाए कि हवालात में ऐसी कोई भी वस्तु अथवा साधन उपलब्ध नहीं है जो व्यक्ति को आत्महत्या करने में सहायक हो। पुलिस हिरासत में मृत्यु के प्रकरणों की रोकथाम हेतु आपके मार्गदर्शन एवं पालन हेतु निम्नांकित सुझाव प्रेषित किये जा रहे हैंः–

- पंजीकृत अभियोग की सूचना 24 घंटे के अन्दर मानवाधिकार को प्रत्येक दशा में प्रेषित कर दी जाए।
- पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु के संबंध में मृतक का पंचनामा मजिस्ट्रेट द्वारा भरा जाए तथा चिकित्सक द्वारा शव का परीक्षण कराते हुए वीडियोग्राफी अवश्य करायी जाए तथा वीडियो कैसेट को अवलोकन हेतु मानवाधिकार आयोग को भी प्रेषित किया जाए।

- पुलिस अभिरक्षा मृत्यु के संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 176 के प्राविधानों के अनुसार मजिस्ट्रीरियल जाँच के आदेश निर्गत किये जायें तथा जाँचों के शीघ्र निस्तारण हेतु जनपद स्तर पर पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट से समन्वय बनाया जाय।
- थाना हवालात के अन्दर प्रकाश की व्यवस्था बाहर से इस प्रकार की जाए कि हवालात के अन्दर (विशेषकर रात्रि के समय) हमेशा उजाला रहे।
- सन्तरी डियूटी पर पुलिस कर्मियों की डियूटी लगाते समय उनको थानाध्यक्ष एवं हेडमोहर्रिर द्वारा उनके कर्तव्यों के सम्बन्ध में भली–भाँति ब्रीफ कर दिया जाए।
- आत्महत्या जैसी घटना कारित करने के दृष्टिकोण से शौचालय में लटकने आदि की कोई सुविधा न हो तथा ऊपर से कमरा दिखाई दे।
- शौचालय के दीवार की ऊँचाई 04 फिट से अधिक से न हो जहाँ से खड़ा व्यक्ति दिखाई दे सके।
- कार्यालय स्टाफ के एक कर्मचारी को बन्दी निगरानी हेतु अवश्य रखा जाए।
- बन्दी को हवालात में बन्द करने से पहले उसकी जामा–तलाशी पूर्णरूप से की जाए तथा यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि कोई भी अवांछित वस्तु/सामान उसके पास न हों।
- हवालात के अन्दर बिजली के तार, पानी राप्लाई के पाइप या अन्य नुकीली वस्तुएं न हो।
- अभियुक्त के पास पहनने के कपड़े के अलावा अन्य कपड़े न रखे जायें। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि उसके पास बड़े साइज का अंगोछा/तौलिया न हो जो आत्महत्या जैसी घटना कारित करने में सहायक हो।
- संतरी डियूटी द्वारा समय–समय पर हवालात के बंदियों की चेकिंग की जाए।
- हवालात में बन्द किये गये अभियुक्त से जब भी कोई मिलने आये तो दिवसाधिकारी/सन्तरी अपनी देख–रेख में मिलने दे ताकि संदिग्ध वस्तु जैसे माचिस, ब्लेड, चाकू, रस्सी, मादक/विषैला पदार्थ आदि न दे सके जो आत्महत्या में सहायक बने।
- पुलिस रेगुलेशन के पैरा–62 के अनुसार सन्तरी ड्यिूटी के अर्न्तगत हवालात में बन्द कैदियों की देख–रेख थाने की तिजोरी, मालखाने की सम्पत्ति की सुरक्षा करने का प्रावधान है अतः सन्तरी उपरोक्त के साथ–साथ बीच–बीच में 15 मिनट के अन्तराल में घूम–घूम कर अभियुक्तों की देख–रेख करता रहे। यदि किसी कैदी की असामान्य दशा होती है तो तत्काल थाने के दिवसाधिकारी के संज्ञान में लाया जाए, साथ ही साथ पहरा परिवर्तन करते समय कैदियों को ध्यानपूर्वक देखकर पहरा परिवर्तन किया जाए।
- उपरोक्त सावधानियॉ बरतने के बाद यदि हवालात में मौजूद अभियुक्त का स्वास्थ्य खराब हो तो तत्काल उसे चिकित्सीय सहायता हेतु अस्पताल ले जाया जाए। यथासम्भव इस प्रकिया की फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी भी करायी जाए।
- घायल बन्दी का भली–भाँति उपचार व मेडिकल अवश्य कराया जाए।
- हवालात में होने वाले उपरोक्त कार्यों को क्षेत्राधिकारी के पर्यवेक्षण में पूर्ण कराया जाए।

उपरोक्त बिन्दु आपके लिए प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांत हैं, जिसे अनुपालनार्थ प्रेषित किया जा रहा है इसके अतिरिक्त भी अन्य परिस्थितियों का स्वविवेक से परीक्षण करते हुए समुचित कार्यवाही की जाए, जिससे इस प्रकार की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके। इस सम्बन्ध में जनपद के समस्त थाना कार्यालय को विस्तृत रूप से सेमिनार आदि के माध्यम से जागरूक भी किया जाए तथा समस्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय

31/7

(मुकुल गोयल)

समस्त पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि—निम्नांकित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1—अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवेज, उ0प्र0, लखनऊ।
2—अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था, उ0प्र0, लखनऊ।
3—समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
4—समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।